31/132 10024 (45)

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

03CC 306999

Joint Vice President

विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 11,56,533/-
मालियत मूल्य: रू0 5,54,400/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 1,15,700/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख कृष्णा नन्द यादव पुत्र स्व0 श्री जगन्नाथ यादव, निवासी-ग्राम शाहखेड़ा, मजरा-सरसावां, पोस्ट -अर्जुनगंज, जिला लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेता कहा गया है,

Vice President

15-12-21

115550/-

5000/- 30 = 1030/-

[illegible]

03CC 307000

एवम अनुपम थियेटर्स एण्ड इग्जीबीटर्स (प्रा0) लिमिटेड, द्वारा अधिकृत अध्यक्ष श्री ओंकार नाथ सिंह पुत्र श्री विश्वेश्वर नाथ सिंह, कार्यालय–मूल याई0एम0सी0ए0 बिल्डिंग, 13 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि सम्पत्ति पंचवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी ग्राम सं0 139 के खसरा संख्या–291, रकबा 0.616 हेक्टेयर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला–

15-12- [illegible]

[illegible]

उप निबन्धक [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

२००००

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

03CC 304101

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ से जारी
14 2004
सहा. कोषाधिकारी
TRY. LKO.

लखनऊ, का मालिक, काबिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित कम्प्यूटरीकृत खाता खतौनी क्रम संख्या 139 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेता के नाम का अमल दरामद आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार बिजनौर के द्वारा दिनांक 25.10.2004 को राजस्व अभिलेखों में हो गया है। उक्त भूमि विक्रेता ने दिनांक 03.09.2004 को श्री सन्तराम पुत्र श्याम लाल निवासी–ग्राम खुशुक नगर उर्फ बनियाखेड़ा, परगना, तहसील व जिला लखनऊ से एक पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से क्रय किया था जो कि सब रजिस्ट्रार लखनऊ के यहाँ पुस्तक संख्या–1, खण्ड 6398 के पृष्ठ 119 से 146 के क्रम संख्या–7478 पर पंजीकृत है। विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000

INDIA NON JUDICIAL

03CC 304182

TRY. LKO.
कोषागार लखनऊ से जारी
14
सह. को. अ./कोषाधिकारी
कोषागार लखनऊ
TRY. LKO.

अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व,

भारत INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 20000 रुपये

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

03CC 304103

TRY. LKO.

- 2 -

हक या दावा इत्यादि नही है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 11,56,522/– (ग्यारह लाख छप्पन हजार पाँच सौ बाईस रूपया मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता सहर्ष स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त मे अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

क्रेता को बखूबी दखल दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के

For [illegible]

Vice President

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर

100 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.   Rs 100

भारत

एक सौ रुपये   ONE HUNDRED RUPEES

कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगें, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम खुलफ नगर उर्फ बनियाखेड़ा अर्धनगरीय क्षेत्र के विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 9,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.616 हेक्टेअर की मालियत रू0 5,54,400/- होती है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0

For Anupam [illegible]

Auth. [illegible]

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

1,15,700/– जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

100Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु.

Rs 100

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

1,15,700/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हम विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट : विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि सम्बन्धित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 139 के खसरा संख्या–291, रकबा 0.616 हेक्टेअर, स्थित ग्राम यूसुफ नगर उर्फ बगियामऊ, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला– लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

खसरा नं0 291

पूरब	: खसरा संख्या–298, 305
पश्चिम	: खसरा संख्या–292
उत्तर	: खसरा संख्या–297 व 292
दक्षिण	: खसरा संख्या–290

For [illegible]

[illegible], Vice President

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल रू0 11,56,522/- (ग्यारह लाख छप्पन हजार पाँच सौ बाईस रूपया मात्र) विक्रेता ने क्रेता से नगद प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ
दिनांक: 15.12.2004

गवाह

1. [illegible]

विक्रेता

2. [illegible]

क्रेता [illegible]

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

मसविदाकर्ता

(मयंक श्रीवास्तव)
एडवोकेट

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

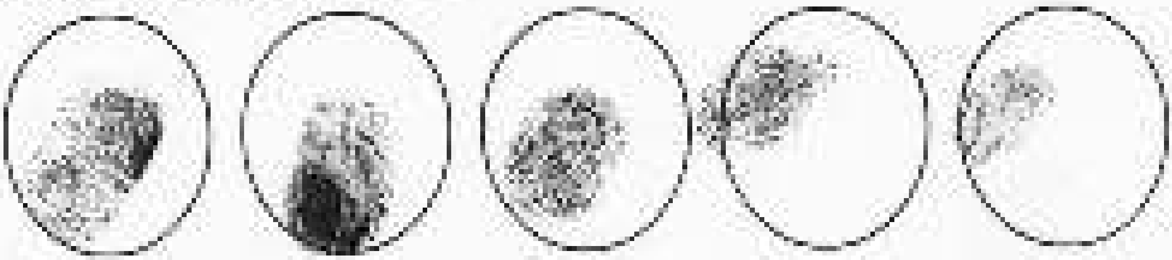

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :

[illegible]

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

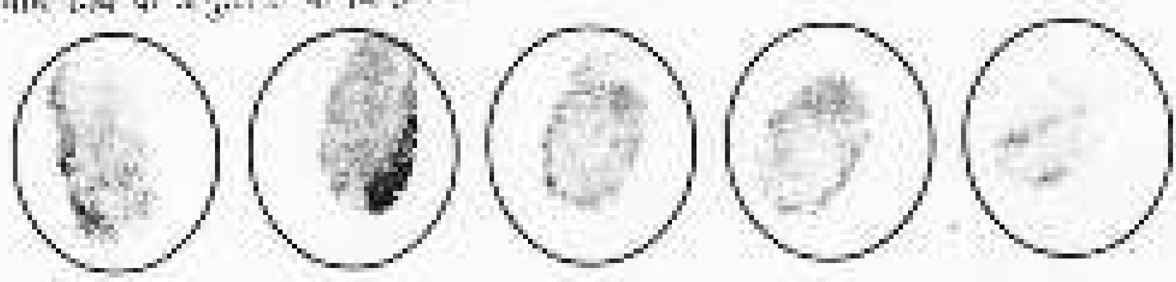

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

[illegible]

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा नं0 : [illegible]

रकबा : [illegible]

परगना : [illegible]

[illegible] सम्पत्ति के समीप स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण

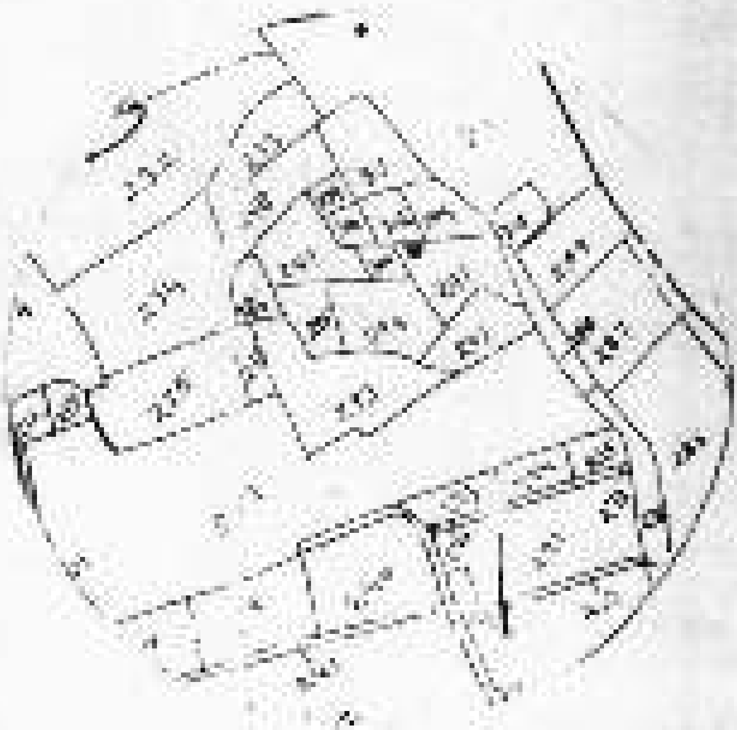

[illegible]

For [illegible]

Auth. Vice President

प्राप्त दिनांक 15/12/14 को
पुस्तक संख्या [illegible] 6121
पृष्ठों [illegible] 6124
[illegible]

उप निबंधक (सदर)
[illegible]